अनुसूचि 14 – फारम सं0 562

केस का स0 ओर तारिख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3

उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रॉची
(विधि शाखा)
सी0 सी0 ए0 वाद सं0 167 / 18–19
राज्य
–बनाम–
अनुज टोप्पो

आदेश

13
25.01.20

वरीय पुलीस अधीक्षक, रॉची ने अपने पत्रांक 890 / डी0सी0बी0 दिनांक 22.05.2018 के माध्यम से कुख्यात अपराधकर्मी अनुज टोप्पो पे0–कर्मा टोप्पो सा0 सुकुरहुटु, थाना तुपुदाना, जिला रॉची के विरूद्ध झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम – 2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1) (a), 3 (1) (b) (1) के तहत्त प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया, जिसका अवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्त्तमान मे (1) धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0 48 / 17 धारा 302 / 34 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट, (2) धुर्वा (तुपुदाना) थाना सनहा सं0 04 / 18 दिनांक 29.04.2018, (3) धुर्वा (तुपुदाना) थाना सनहा सं0 15 / 18 दिनांक 29.04. 2018 एवं (4) धुर्वा (तुपुदाना) थाना सनहा सं0 05 / 18 दिनांक 30.04. 2018दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है।

वरीय पुलीस अधीक्षक, रॉची ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अनुज टोप्पो पे0– कर्मा टोप्पो सा0 सुकुरहुटु, थाना तुपुदाना, जिला रॉची एक सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा अवैध हथियार रखना, हत्या करना एवं अन्य अपराध करना है। इनके जेल से छुटने के बाद भी इनके अपराधिक क्रिया – कलाप में कोई परिवर्तन नही हुआ है। जिसके आस पास के क्षेत्रो मे शान्ति व्यवस्था पुरी तरह से प्रभावित रह रही है। उक्त अंकित काण्ड में ये पूर्व में अपराधिक घटनाओं के कारण जेल में थे जो वर्त्तमान मे जेल से बाहर है। इनके अपराधिक इतिहास के कारण

केस का सं0 ओर तारिख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ के बारे मे टिप्पणी, के साथ
1	2	3

जनता में भय व्याप्त है कि ये फिर से कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे दें जिससे लोक–शान्ति की समास्या उत्पन्न न हो जाये। आसूचना संकलन के क्रम में भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके घरों में भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आम जनता के बीच भय का माहौल बना हुआ है। इस प्रकार आम–जनों के बीच इनका भय कम करने एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए इन पर प्रतिदिन निगरानी रखना आवश्यक है। इसके लिए इनको प्रत्येक दिन थाना पर हाजिरी करा कर निगरानी रखना अति आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यो के आलोक मे झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम –2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1) (A), 3 (1) (B) (1) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।

विपक्षी अनुज टोप्पो पे0– कर्मा टोप्पो सा0 सुकुरहुटु, थाना तुपुदाना, जिला रॉची के तरफ से इस वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी अनुज टोप्पो पे0– कर्मा टोप्पो सा0 सुकुरहुटु, थाना तुपुदाना, जिला रॉची के विरूद्ध दायर कांडो मे अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र समर्पित किया गया है एवं मामला अभी माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है। विपक्षी द्वारा अपने कारण पृच्छा के समर्थन मे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। दुसरी ओर वरीय पुलिस अधीक्षक के रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है कि इनके द्वारा कारित अपराध भा0 द0 स0 के अध्याय XVI एवं XVII की श्रेणी के है जो झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम –2002 (अंगीकृत) के धारा 2 (क) के तहत्त इनके असमाजिक तत्व होने का द्योतक है एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभवना है।

अतः वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची के प्रस्ताव एवं अनुशंसा मे

क्र सं0 तारिख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3

अन्तर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले मे लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित अपराधकर्मी अनुज टोप्पो पे0– कर्मा टोप्पो सा0 सुकुरहुटु, थाना तुपुदाना, जिला रॉची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम – 2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1) (A), 3 (1) (B) (1) में अंकित प्रावधानो के आलोक मे अपराधकर्मी अनुज टोप्पो पे0– कर्मा टोप्पो सा0 सुकुरहुटु, थाना तुपुदाना, जिला रॉची को आदेश प्राप्ति की तिथि से अगले तीन माह की अवधि के लिए संबंधित थाने मे हर दो दिन पर हाजिर होकर उपस्थिति दर्ज कराये। उक्त आदेश के अनुपालन नही किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम –2002 (अंगीकृत) के धारा 7 (2) (b) के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश की प्रति उपस्थिति दर्ज कराने हेतु संबंधित थाना को वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची के माध्यम से अनुपालनार्थ भेजा जाए।

जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
राँची।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.05.11 13:36:30 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:188d:1bbc:988a:358d